



Neutral Citation No.-2026:AHC:128520

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-19854/2026

सोनिया

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: अंजलि सिंह तोमर, गौरव सिंह तोमर, इंदर पाल सिंह तोमर

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शा.अधि.

न्यायालय संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अ.शा.अधि. को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना-गौंडा, जनपद-अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अधीन मुकदमा अपराध संख्या 01/2024 में आवेदक की जमानत पर रिहाई हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह भी कहा गया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध तीन मामले दिखाए गए हैं

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और सभी मामलों में आवेदक जमानत पर है। यह भी कहा गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. उन्होंने आगे कहा कि प्रश्नगत प्र.सू.रि. में सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने तथा अनुचित सांसारिक, आर्थिक भौतिक या अन्य प्रकार का लाभ प्राप्त करने संबंधी आरोप आवेदक के विरुद्ध अस्पष्ट हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित "गैंग" तथा "गैंगस्टर" शब्दों की परिभाषा के अधीन आने वाले किसी कृत्य या लोप के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के अभाव में कोई प्र.सू.रि. पोषणीय नहीं है। वर्तमान मामले में प्र.सू.रि. लंबित आपराधिक मामले(मामलों) पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप(आरोपों) या तथ्य(तथ्यों) की खोज पर, जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव हो, जिस उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया था।
5. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग प्रतिशोध लेने या नागरिकों को परेशान करने या डराने-धमकाने या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब बराबर करने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।
6. उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा कार्य दिखाने या सरकार अथवा सत्तारूढ़ दल के उच्च अधिकारियों से सराहना/प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है, जो अन्यायपूर्ण है।
7. उन्होंने यह भी कहा कि उपरोक्त वर्णित मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के अपराध का दोषी नहीं है और वह जमानत पर रहते हुए अपराध नहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक जमानत पर रहते हुए कोई अपराध/अपकृत्य नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से साक्ष्य से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।
8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक इस मामले में दिनांक 25.05.2026 से जेल में बंद है और इस बात की कोई आशंका नहीं है कि यदि आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है तो वह विधि की प्रक्रिया से भाग जाएगा या विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा, साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री इतनी मजबूत नहीं है कि यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।
9. इन परिस्थितियों में आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है। जमानत पर रिहा होने पर वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
10. विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्षता से स्वीकार किया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में आवेदक जमानत पर है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक गैंग का सदस्य है और अपराध करने का आदी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा और अभियोजन गवाहों को धमकी व डराने-धमकाने के जरिए जमानत का दुरुपयोग करेगा।
11. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:—

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है, और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

12. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री साक्ष्य, गैंग-चार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति और अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

13. भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 SCC 713 में यह धारित किया गया कि अनेक निर्णयों में यह कहा गया है कि भाग III द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रता के संरक्षणात्मक दायरे में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता, बल्कि न्याय तक पहुंच और शीघ्र विचारण भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम भारत संघ में यह धारित किया गया कि विचाराधीन कैदियों को अनिश्चितकाल तक विचारण के लंबित रहने तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को उसके कृत्यों के प्रतिकूल परिणाम तब तक नहीं भुगतने चाहिए जब तक वह किसी तटस्थ पंच के समक्ष स्थापित न हो जाए। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं के कारण, जहां एक प्रभावी विचारण सुनिश्चित करना है तथा यदि एक संभावित अपराधी विचारण के लंबित रहने तक स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो समाज को

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



होने वाले जोखिम को कम करना है, न्यायालयों को यह तय करने का कार्य सौंपा गया है कि किसी व्यक्ति को विचारण के लंबित रहने तक रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि समयबद्ध विचारण संभव नहीं होगा और अभियुक्त ने पर्याप्त समय तक कारावास भोगा है, तो न्यायालय सामान्यतः उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होंगे।

14. उपरोक्त उल्लिखित पक्षों के निवेदनों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश तथा सर्वोच्च न्यायालय के दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2018) 3 SCC 22 तथा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य, एस.एल.पी.(क्रि.) संख्या 5191/2021 में पारित निर्णयों के सिद्धांत पर विचार करते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. उपरोक्त अपराध में लिप्त आवेदक सोनिया को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदारों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:—

(i) आवेदिका इस आशय का शपथपत्र दाखिल करेगी कि जिस तिथि साक्ष्य के लिए नियत की गई हो तथा जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों तो वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगी। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदिका प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए भा.द.सं./269 भा.न्या.सं. के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) यदि आवेदिका विचारण की अवधि में जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./84 भा.ना.सु.सं. के अधीन उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए भा.दं.सं./209 भा.न्या.सं. के अधीन उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही आरंभ करेगा।

(iv) आवेदिका (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप विरचन, तथा (3) धारा 313 दं.प्र.सं./351 भा.ना.सु.सं. के अधीन बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह उपलब्ध रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

22 जून, 2026

ए.पी. पांडेय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”